निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 670) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

सं०–पर्या/वन (मु0)–08/2016 (खंड)/620(ई०)/प०व०ज०प०
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2021

विषयः बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के अध्यक्ष, सदस्यों के मनोनयन तथा सदस्य–सचिव की नियुक्ति हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रस्तावना :– केन्द्र सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये तथा जल की सम्पूर्णता को बनाये रखने या पुनःस्थापित करने एवं जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु बोर्डों की स्थापना के लिये तथा तत्संबंधी कर्त्तव्यों एवं मामलों के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6ठा) अधिनियमित किया है।

उक्त अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य बोर्डो के गठन के साथ–साथ अध्यक्ष, सदस्यों के मनोनयन एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है।

उक्त अधिनियम, की धारा–4 की उप–धारा (2)(अ) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के विशेष जानकार या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले या ऐसे मामलों से निपटने वाले संस्थानों को चलाने का प्रशासनिक अनुभव और ज्ञान वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उक्त पर्षद् के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने का प्रावधान है।

उक्त अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत अध्यक्ष सहित सदस्यों, सदस्य सचिव को छोड़कर की सेवा शर्त्त प्रावधानित है।

सिविल अपील संख्या–1359/2017: टेकी तागी तारा बनाम राजेन्द्र सिंह भण्डारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–22.09.2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की संस्थागत आवश्यकता, अधिनियम के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए व्यवस्था तथा विभिन्न प्राधिकारों एवं समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए, 6 महीने के अंदर उचित दिशानिर्देश या भर्त्ती नियम बनाने हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है ताकि राज्य पर्षदों में सुयोग्य विशेषज्ञ एवं पेशेवर व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर जोर दिया गया है कि संस्थागत लोगों के पास, प्रदूषण से संबंधित विभिन्न कानूनों को कार्यान्वित करने हेतु दृष्टि एवं विशेषज्ञता होनी चाहिए।

प्रस्तावना में कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में अध्यक्ष सहित सदस्यों के मनोनयन एवं सेवा शर्त्तों तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश जारी करती है :–

1. राज्य सरकार, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के विषय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति या उपर्युक्त मामलों का निपटारा करने वाले संस्थान को चलाने का अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा पर्षद् का पुनर्गठन होने तक के लिये पर्षद् के अध्यक्ष के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4(2) के प्रावधानों के अनुरूप, पूर्णकालीन रूप से, नामित करेगी।

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के लिये तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पर्यावरण अभियंत्रण में स्नातकोत्तर डिग्री या संबद्ध विज्ञान में समकक्ष डिग्री धारित नहीं करता हो और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव नहीं रखता हो या पर्यावरणीय मामलों (वायु एवं जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहित) का प्रबंधन करने वाले किसी सरकारी विभाग या संगठन या विश्वविद्यालय या संस्था के प्रशासन में शामिल नहीं रहा हो।

2. आयु सीमाः अध्यक्ष के मनोनयन हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

3. अध्यक्ष के मनोनयन हेतु उम्मीदवारों का चयन, एक खोज समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

क.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
ख.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार,	सदस्य
ग.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, बिहार	संयोजक

4. उपरोक्त उद्देश्य के लिये अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार समाचार पत्रों एवं विभागीय बेव साईट के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

5. खोज समिति सभी योग्य आवेदनों पर विचार करेगी तथा संक्षिप्त अभियुक्ति अभिलिखित करते हुए पर्षद् के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी। उक्त सूची विभागीय मंत्री को विचारण हेतु समर्पित की जायेगी। विभागीय मंत्री के द्वारा सूची के विचारण एवं अनुमोदन के उपरांत अध्यक्ष का मनोनयन बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. राज्य सरकार राज्य में सेवारत पदाधिकारियों, जिन्हें पर्यावरणीय अधिनियम, नियमों एवं विनियमनों को लागू करने एवं प्रशासित करने का समुचित अनुभव हो, में से किसी को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य–सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त करेगी।

7. कृषि या मत्स्य या वानिकी या उद्योग या व्यापार या अभियंत्रण या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित किसी भी विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले या प्रतिनिधित्व करने वाले तथा संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पर्षद् के गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करेगी।

8. त्याग–पत्र, पदच्यूति या अन्यथा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर इस दिशानिर्देश के अनुसार नये मनोनयन द्वारा रिक्ति भरी जायेगी। नय मनोनयन होने तक अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पर्षद् के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।

9. किसी गैर–सरकारी सदस्य के त्याग–पत्र या पदच्यूति के कारण होने वाली कोई रिक्ति, यदि शेष अवधि छह महीने से अधिक हो, तो इस दिशा निदेश के आलोक में नए सदस्य का मनोनयन किया जाएगा तथा ऐसे मनोनयन सदस्य शेष कार्यकाल के लिये होंगे। यदि राज्य सरकार उचित समझती है, तो बिना कोई कारण दर्शाए रिक्ति को नहीं भरने का विकल्प चुन सकती है।

10. पर्षद् के गैर–सरकारी सदस्यों को समय–समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर बैठक हेतु शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

11. अध्यक्ष का वेतन और अन्य भत्ते बिहार सरकार के तत्समय लागु प्रावधान के अनुसार होंगे।

12. ये दिशानिर्देश अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

13. इस दिशा–निर्देश के अंग्रेजी एवं हिन्दी पाठ में मतभिन्नता (ambignity) होने की स्थिति में इसका अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

No-Parya/Van(Mu.)-08/2016(Part)620(E)/E.F.&C.C.

Resolution

Dated 6th August 2021

Sub: Guidelines for the nomination of Chairman, Members and appointment/ deputation of the Member-Secretary of Bihar State Pollution Control Board-reg.

Preamble :- The Central Government has enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) to provide for the prevention and control of water pollution and maintaining or restoring of wholesomeness of water, and for establishment of Boards for the prevention and control of water pollution, and for conferring on and assigning to such Boards powers and functions relating thereto and for matters connected therewith.

Section-4 of the said Act provides for constitution of State Boards by the State Government along with nomination to the post of Chairman, Members and appointment of Member Secretary.

Sub section 2 (a) of section-4 of the said Act provides for nomination of a person, having special knowledge in respect of matters relating to Environmental Protection or practical experience or knowledge and experience in administering institutions dealing with the matters aforesaid, as Chairman of the said Board by the State Government.

Section-5 of the said Act provides for Terms and Conditions of service of Members, other than the member- secretary, including the Chairman.

The Hon'ble Supreme Court of India vide Order dated 22.09. 2017 in Civil Appeal No.1359/2017:Techi Tagi Tara versus Rajendra Singh Bhandari and others has directed all State Governments to frame appropriate guidelines or recruitment rules within 6 months considering the institutional requirement of the State Pollution Control Boards and the law laid down by statute, by the Hon'ble Supreme Court, and as per the reports of various committees and authorities so as to ensure that suitable professionals and experts are appointed to the State Pollution Control Boards. The Hon'ble Supreme Court has also emphasized that the persons who hold these institutions should have a sense of vision and expertise to implement various laws relating to pollution.

In view of the facts and circumstances stated in the Preamble, the State Government of Bihar hereby issues following guidelines for nomination, terms and conditions of service of the members including the chairman and for appointment/deputation of the member-secretary to the Bihar State Pollution control Board:-

1. The State Government shall nominate a person having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to environmental protection or a person having knowledge and experience in administering an institution dealing with the matters aforesaid, as Chairman of the Bihar State Pollution Control Board in accordance with the provisions under sub-section (2) of section-4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, on full time basis, for a period of three years from the date of such nomination or till the reconstitution of the Board.

Provided that no person shall be eligible for nomination as Chairman unless he/she possesses a Master's degree in Environment Science or a Master's Degree in

Environment Engineering or an equivalent degree in allied sciences from a recognized University or institute and has knowledge and experience in areas related to environmental protection or has been a part of administration in a Government Department or Organization or University or Institute dealing with environmental issues (including issues of air and water pollution, waste management, natural resources management and environmental impact assessment).

2. Age limit: The maximum age limit for nomination of chairman shall be 70 years as on the last date for the receipt of applications.

3. Selection of candidates for being nominated as chairman shall be made by a Search Committee consisting of the followings :

a.	Chief Secretary, Bihar	-	Chairman
b.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary; Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar.	-	Member
c.	Additional Principal Chief Conservator of Forests; Environment, Climate Change and Wetland, Bihar	-	Convenor

4. For the above purpose, three months prior to expiration of the term of the Chairman; Environment, Forest and Climate Change Department, Bihar will invite applications in prescribed format from interested persons through advertisement in newspapers as well as through departmental website.

5. The Search Committee shall consider all the eligible applications and prepare a list of suitable candidate for being nominated as the chairman of the Board after briefly recording the remarks. The said list shall be submitted to the Departmental Minister. After the consideration and approval of list by the Departmental Minister, nomination of the Chairman shall be made in accordance with the provisions under the Bihar Rules of Executive Business.

6. The State Government shall depute a Member-Secretary to the Bihar State Pollution Control Board, from amongst the serving officers in the state having due experience of administering and implementing the environmental Acts, Rules and Regulations.

7. The State Government shall nominate such persons as non-official members to the Board in accordance with the provisions under the Bihar Rules of Executive Business who represent or possess special knowledge or practical experience in Agriculture or Fishery or Forestry or Industry or Trade or Engineering or any subject related to Natural Resource Management and Control of Pollution and has practical experience in the aforesaid field.

8. Any vacancy caused by resignation, removal or otherwise of the Chairman shall be filled by fresh nomination in accordance with these Guidelines. Till the fresh nomination, the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, shall be the acting Chairman of the Board.

9. Any vacancy caused by the resignation or removal of any non-official Member, if the remaining term is more than six months, fresh nomination shall be made as per these guidelines and the Member/Members so nominated shall be for the remaining term. The State Government, however, may opt for not filling the vacancy so arisen, if it deems fit, without assigning any reason.

10. The non-official Members of the Board shall be paid a sitting fee for the Board meetings at the rate approved by the State Government from time to time.

11. The salary and other emoluments of the Chairman shall be as per the extant provisions of the Government of Bihar.

12. These guidelines shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

13. In case of any ambiguity in meaning between English and Hindi version of these guidelines, the English version shall prevail.

Order: It is ordered that this resolution be published in the next copy of extraordinary Gazette of Bihar for information of general public.

By order of the Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 670-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in